UPBL010063512025

न्यायालय Additional District and Sessions Judge - 1, Ballia

पीठासीन अधिकारी– (Sri Punit Kumar Gupta), **(उच्चतर न्यायिक सेवा) –** UP06114

CRIMINAL APPEAL/150/2025

1– बलवन्त हरिजन पुत्र स्व० शिवपूजन हरिजन,
साकिन–ताड़ीबड़ागांव (महुआ) थाना–नगरा, जिला बलिया।

.....अपीलार्थी

बनाम

1– उ०प्र० राज्य,

2– शिवबचन हरिजन पुत्र बहादुर हरिजन,
साकिन ताड़ीबड़ागांव (महुआ) थाना नगरा, जिला बलिया।

.....विपक्षी/उत्तरदाता

निर्णय

1– फौजदारी अपील विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बलिया द्वारा मु०सं०–1003451/2012, स्टेट बनाम रामसरीख हरिजन वगैरह एन०सी०आर० नंबर–121/1995 धारा–323,504 भा०दं०वि०, थाना नगरा, जिला–बलिया में पारित निर्णय आदेश दिनांकित–14.11.2025 से झुब्ध होकर संस्थित किया गया है।

2– थाना नगरा, जिला बलिया की पुलिस द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर संस्थित फौजदारी वाद में अभियुक्तगण रामसरीख हरिजन, बलवन्त हरिजन, यशवन्त हरिजन एवं हरीलाल हरिजन का विचारण धारा 323,504 भा.द.वि. में किया गया है। दौरान विचारण अभियुक्तगण रामसरीख हरिजन एवं यशवन्त हरिजन की मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरूद्ध वाद की कार्यवाही उपशमित की जा चुकी है तथा अभियुक्त हरीलाल हरिजन के विरूद्ध जुर्म स्वीकारोक्ति के आधार पर दिनांक 18.09.2025 को निस्तारित की जा चुकी है।

3– संक्षेप में अपीलार्थी/अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि दिनांक 05.09.1995 को समय करीब 7 बजे सुबह अभियुक्तगण रामसरीख, जशवन्त, बलवन्त एवं हरीलाल वादी मुकदमा शिववचन हरिजन के बांस–खूंटी से कईन काट रहे थे। वादी मुकदमा की पत्नी ने जब मना किया तो उसे मां–बहन की गालियां दिये और लात–मुक्का थप्पड़ से मारने लगे। शोर पर गांव के बेचन व देसाली तथा अन्य बहुत से लोगों ने देखा व बीचबचाव किया। वादी ने थाना पर लिखित सूचना दिया, जिसके आधार पर एन.सी.आर.सं. 121/1995 अन्त 323,504 भा.द.वि. में दर्ज हुआ। वादी मुकदमा के प्रार्थना अन्तर्गत धारा 155 (2) दं०प्र०सं० न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसको स्वीकार कर न्यायालय सम्बन्धित थानाध्यक्ष नियमानुसार विवेचना कराये जाने हेतु आदेशित किया गया। उक्त मामले की विवेचना विवेचक घटन द्वारा की गयी जिन्होंने घटना स्थल का नक्शा नजरी तैयार किया, जिसकी प्रविष्टि जी.डी. में की गयी। गवाहों का बयान लिया तथा पर्याप्त साक्ष्य पाने पर अभियुक्तगण के विरूद्ध

Digitally signed by PUNIT KUMAR GUPTA
Date: 2026.07.02 16:30:40 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

एन.सी.आर.सं०– 121/1995 अन्तर्गत धारा 323,504 भा.द.वि. के अन्तर्गत आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया।

4– अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया। अभियुक्त के विरूद्ध धारा 323,504 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप विरचित किया गया। अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवाक किया तथा विचारण की मांग की।

5– अभियोजन द्वारा मौखिक साक्ष्य में पी. डब्लू 1 सावित्री को परीक्षित कराया गया है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में उपर्युक्त दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं। अभियोजन को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी उपरोक्त के अतिरिक्त किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया।

6– अभियुक्त का बयान अंतर्गत धारा 313 द०प्र०सं० अभिलिखित किया गया। अभियुक्त ने साक्षी द्वारा दिये गये बयान को गलत बताते हुए मुकदमे में झूठा फंसाया जाना कहा है।

7– बचाव पक्ष की ओर से प्रतिरक्षा में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8– अवर न्यायालय द्वारा प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष को सुनकर दिनांकित–14.11.2025 को आदेश पारित किया गया कि

> ***"अभियुक्त बलवन्त हरिजन पुत्र शिवपूजन को एन.सी.आर. सं. 121/1995 धारा 323, 504 भा.द.सं. में दोषसिद्ध पाते हुए निम्न प्रकार से दण्डित किया जाता है–***
>
> ***अभियुक्त बलवन्त हरिजन को धारा 323 भा.द.वि. के आरोप में 1,000/– (एक हजार रूपये) के अर्थदण्ड से तथा 504 भा.द.वि. के आरोप में 2,000/– (दो हजार रूपये) के अर्थदण्ड से दण्डित किया जाता है। अभियुक्त द्वारा अर्थदण्ड न अदा करने की स्थिति में उसे 10 दिन के साधारण कारावास से दण्डित किया जाएगा।***
>
> ***उपरोक्त अर्थदण्ड की धनराशि का 1/2 भाग यथा 1500/– (पन्द्रह सौ रुपये) वादी मुकदमा/चोटहिल को या मृत्यु हो जाने की स्थिति में उसके विधिक वारिसानों को बतौर प्रतिकर दिया जाएगा।"***

जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी द्वारा फौजदारी अपील प्रस्तुत की गयी है।

9– अपीलार्थी का संक्षेप में कथन इस प्रकार है कि मातहत न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–14.11.2025 तथ्यतः व कानूनतः पोषणीय नहीं है, बल्कि पूर्णरूपेण अपास्त होने योग्य है। मातहत न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक–14.11.2025 पारित करते समय अपने न्यायिक विवेक का प्रयोग नहीं किया गया है। मातहत न्यायालय ने पत्रावली का बिना सम्यक अवलोकन व बिना परिशीलन किये मनमाने ढंग से न्याय के मंशा के विपरीत कानूनी प्रावधानों की अनदेखी करते हुए निर्णय दिनांकित 14.11.2025 को पारित किया है जो विधिक रूप से सही नहीं है व अपास्त होने योग्य है। वादी द्वारा एन०सी०आर० में दर्ज कराये गये कथन में यह कही नहीं अंकित कराया गया है कि मुल्जिमान द्वारा किन विशेष शब्द की गालियां देकर उसे अपमानित किया गया। इस प्रकार से एन०सी०आर० में किये गये कथन से धारा 504 आई०पी०सी० का कोई अपराध अपीलाण्ट के विरूद्ध नहीं बनता है किन्तु मातहत न्यायालय ने इस बिन्दु पर कोई ध्यान नहीं दिया है। वादी के मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसके कनपटी पर मात्र एक फटा हुआ घाव है तथा उसके स्केपुला और रिस्ट में दर्द की

शिकायत है जबकि एन०सी०आर० के मुताविक चारो अभियुक्तगण ने उसे व उसकी पत्नी को लाठी डण्डा व लात मुक्का से मारापीटा था। वादी का यह कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 323 आई०पी०सी० का कोई अपराध नहीं बनता है। उक्त वाद में अभियुक्त/अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 05.07.2005 को आरोप विरचित हुआ और तब से पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत होती रही किन्तु अभियोजन के समर्थन में वादी के तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया अन्त में मातहत न्यायालय द्वारा बार बार जमानतीय वारण्ट निर्गत करने पर वादी की पत्नी सावित्री दिनांक 15.10.2009 को न्यायालय में उपस्थित हुयी और उसकी मुख्य परीक्षा अंकित किया गया तथा न्यायालय द्वारा जिरह हेतु आगे तारीख पेशी नियत किया गया किन्तु उसके बाद पुनः कभी भी उक्त गवाह जिरह हेतु माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं आयी। इसलिए दिनांक 18.09.2025 को साक्ष्य हेतु अभियोजन को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य न प्रस्तुत करने के कारण अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से कानूनी प्रावधानों के मुताविक साक्षी सावित्री की गवाही साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगी और न पढी जायेगी क्योंकि वह जिरह हेतु उपस्थित नहीं आयी बावजूद इसके मातहत न्यायालय ने सावित्री के साक्ष्य के आधार पर ही अपीलाण्ट के विरूद्ध सजा फरमाया है जो कि बिल्कुल गलत एवं विधि के विपरीत है। उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष के तरफ से अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई अभिलेख/प्रपत्र ही साबित किया गया है जिससे कि अभियोजन कथानक का समर्थन हो सके। बावजूद इसके मातहत न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 14.11.2025 पारित करने में घोर इलिगिल्टी किया गया है। अभियोजन पक्ष मुकदमे में दिये गये तथ्यों को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण विफल रहा है बावजूद इसके मातहत अदालत द्वारा गैर न्यायिक तरीके से न्याय की मंशा के विपरीत कानूनी प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए निर्णय दिनांक 14.11.2025 पारित किया गया है और उक्त निर्णय के अनुसार अपीलाण्ट द्वारा जुर्माने की धनराशि जमा कर दिया गया है। किन्तु निर्णय से क्षुब्ध होकर अपीलाण्ट के तरफ से यह अपील समय सीमा में श्रीमान जी के न्यायालय में आज प्रस्तुत किया जा रहा है।

10– अपीलार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में निर्णय दिनांक–14.11.2025, की प्रमाणित प्रति कागज सं०–6 ख, एन०सी०आर० सं०–121/95 की छाया प्रति कागज सं०–7 ख, 3000/–रू० जुर्माना जमा करने के संबंध में ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति कागज सं०–8 ख, की छायाप्रति दाखिल की गयी है।

11– सुना व पत्रावली का परिशीलन किया।

12– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–14.11.2025 तथ्यतः व कानूनतः पोषणीय नहीं है, बल्कि पूर्णरूपेण अपास्त होने योग्य है क्योंकि वादी द्वारा एन०सी०आर० में दर्ज कराये गये कथन में यह कही नहीं अंकित कराया गया है कि मुल्जिमान द्वारा किन विशेष शब्द की गालियां देकर उसे अपमानित किया गया इसलिए उसके विरूद्ध एन०सी०आर० में किये गये कथन से धारा 504 आई०पी०सी० का कोई अपराध नहीं बनता है एवं वादी के मेडिकल रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि उसके कनपटी पर मात्र एक फटा हुआ

घाव है तथा उसके स्केपुला और रिस्ट में दर्द की शिकायत है जबकि एन०सी०आर० के मुताविक चारो अभियुक्तगण ने उसे व उसकी पत्नी को लाठी डण्डा व लात मुक्का से मारापीटा था, वादी का उपरोक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 323 आई०पी०सी० का कोई अपराध नहीं बनता है।

13– विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी तर्क दिया गया है कि उक्त वाद में अभियुक्त/अपीलाण्ट के विरूद्ध दिनांक 05.07.2005 को आरोप विरचित हुआ और तब से पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत होती रही किन्तु अभियोजन के समर्थन में वादी के तरफ से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, अन्त में विद्वान अवर न्यायालय द्वारा बार बार जमानतीय वारण्ट निर्गत करने पर वादी की पत्नी सावित्री दिनांक 15.10.2009 को न्यायालय में उपस्थित हुयी और उसकी मुख्य परीक्षा अंकित किया गया तथा न्यायालय द्वारा जिरह हेतु आगे तारीख पेशी नियत किया गया किन्तु उसके बाद पुनः कभी भी उक्त गवाह जिरह हेतु माननीय न्यायालय में उपस्थित नहीं आयी जबकि अपीलार्थी प्रत्येक नियत तिथि को न्यायालय उपस्थिति आता रहा है अपीलाण्ट को साक्षी पी०डब्लू० 1 सावित्री से जिरह करने का अवसर नहीं मिला और माननीय अवर न्यायालय द्वारा दिनांक 18.09.2025 को साक्ष्य हेतु अभियोजन को अन्तिम अवसर प्रदान किया गया तथा दिनांक 23.09.2025 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य न प्रस्तुत करने के कारण अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया गया। इस प्रकार से कानूनी प्रावधानों के मुताविक साक्षी सावित्री की गवाही साक्ष्य में ग्राहय नहीं होगी और न पढी जायेगी क्योंकि वह जिरह हेतु उपस्थित नहीं आयी बावजूद इसके मातहत न्यायालय ने सावित्री के साक्ष्य के आधार पर ही अपीलाण्ट के विरूद्ध सजा फरमाया है जो कि बिल्कुल गलत एवं विधि के विपरीत है।

14– यह भी तर्क दिया गया है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को पूर्णतः साबित करने में असफल रहा है क्योंकि उक्त मुकदमे में अभियोजन पक्ष के तरफ से पी०डब्लू० 1 सावित्री के अलावा वादी मुकदमा व अन्य कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि एन०सी०आर में कथित घटना के स्वतंत्र साक्षी का उल्लेख किया गया है जिनके द्वारा घटना को देखा गया और बीच–बचाव किया गया है उन्हें भी परीक्षित नहीं कराया गया है और न ही अभियोजन की ओर से कोई अभिलेख/प्रपत्र ही साबित किया गया है जिससे कि अभियोजन कथानक का समर्थन हो सके। अभियोजन पक्ष मुकदमे में दिये गये तथ्यों को युक्ति युक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण विफल रहा है बावजूद इसके विद्वान अवर न्यायाल द्वारा गैर न्यायिक तरीके से न्याय की मंशा के विपरीत कानूनी प्रावधानों का घोर उल्लंघन करते हुए निर्णय दिनांक 14.11.2025 पारित किया गया है। उक्त निर्णय दिनांकित–14.11.2025 अपास्त कर, अपील स्वीकार की जाए।

15– राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा तर्क दिया गया है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय आदेश विधि एवं तथ्यों के अनुरूप है उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं है, अभियोजन द्वारा घटना का साबित करने हेतु पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किये गये हैं तथा पी०डब्लू० 1 सावित्री द्वारा दिये गये साक्ष्य से भी अभियोजन कथानक को बल मिलता है, अपील खारिज की जाए।

16– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा दिये गये तर्कों को सुना एवं मूल पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं प्रपत्रों का परिशीलन किया।

17– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांकित–14.11.2025 तथ्यतः व कानूनतः पोषणीय नहीं है, बल्कि पूर्णरूपेण अपास्त होने योग्य है, क्योंकि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को पूर्णतः साबित करने में असफल रहा है, इस स्तर पर उचित प्रतीत होता है क्योंकि अभियोजन पक्ष की ओर से घटना का एक मात्र साक्षी पी०डब्लू० 1 परीक्षित कराया गया है। पत्रावली के अवलोकन से यह विदित है कि आरोप दिनांक–05.07.2005 को विरचित किया गया है तथा पत्रावली साक्ष्य हेतु नियत की गयी है तथा अभियोजन पक्ष को पर्याप्त साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया है परंतु अभियोजन पक्ष की ओर से कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया। दिनांक–15.10.2009 को लगभग आरोप विरचित होने के 4 वर्ष बाद साक्ष्य हेत बी०डब्लू० होने के उपरान्त अभियोजन पक्ष की ओर से साक्षी पी०डब्लू० 1 को परीक्षित कराया गया है तथा उसकी मुख्य परीक्षा अंकित की गयी। आदेश पत्रक के अवोलकन से विदित है कि दिनांक–15.10.2009 के उपरान्त पत्रावली जिरह हेतु नियत की गयी परंतु साक्षी पी०डब्लू० 1 साक्ष्य हेतु उपस्थित नहीं आयी, आदेश पत्रक के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि लगातार बी०डब्लू० जारी रहने के बावजूद भी साक्षी जिरह हेतु न्यायालय उपस्थित नहीं आयी। आदेश पत्रक के अवलोकन से यह भी विदित है कि दिनांक–23.09.2025 को अभियोजन द्वारा साक्ष्य न प्रस्तुत करने के कारण अभियोजन के साक्ष्य का अवसर समाप्त कर दिया और न ही अभियोजन द्वारा कोई प्रपत्र साबित कराया गया है। जिससे अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये उपरोक्त तर्कों को बल मिलता है।

18– अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का यह तर्क कि वादी के मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार उसके कनपटी पर मात्र एक फटा हुआ घाव है तथा उसके स्केपुला और रिस्ट में दर्द की शिकायत है जबकि एन०सी०आर० के मुताविक चारो अभियुक्तगण ने उसे व उसकी पत्नी को लाठी डण्डा व लात मुक्का से मारापीटा था, वादी का उपरोक्त कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है और अपीलाण्ट के विरूद्ध धारा 323 आई०पी०सी० का कोई अपराध नहीं बनता है, इस स्तर पर उचित प्रतीत होता है क्योंकि कथित घटना में चारो अभियुक्तगणों द्वारा उसे गाली देते हुए लाठी–डण्डा व लात मुक्का से मारना पीटना कहा है, यह एक सामान्य बात है कि जब किसी व्यक्ति को चार लोगों द्वारा गाली देते हुए, लाठी–डण्डा से मारा–पीटा जाता है, तो उसे गंभीर चोंटे आना स्वभाविक है तथा वह बेहोश भी हो सकता हैं परंतु वादी के मेडिकल रिपोर्ट में मात्र दर्द की शिकायत और एक फटा घाव है, जबकि यदि चार लोगों के द्वारा किसी व्यक्ति को लाठी–डण्डे से पीटा जाता है तो संभव है कि उसे गंभीर चोटें आये और वह लहूलूहान हो जाए।

19– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कथित घटना दिनांक–05.09.1995 की है और जो वादी द्वारा अपनी आघात आख्या प्रस्तुत की गयी है वह दिनांक–07.09.95 की है, मेडिकल कथित घटना के दो दिन बाद क्यों हुआ इसके संबंध में कोई साक्ष्य या प्रपत्र अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है।

20– जहाँ तक साक्षी पी०डब्लू० 1 के बयान की बात है तो जब तक किसी साक्षी की जिरह पूर्ण नहीं हो जाती है तब तक यह निष्कर्ष निकालना उचित प्रतीत नहीं होता है कि उसके द्वारा जो अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया गया है, सही है अथवा गलत। प्रस्तुत प्रकरण में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य अभियोजन कथानक के संबंध में प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे अभियोजन कथानक को समर्थन मिलता हो। कथित घटना के अन्य स्वतंत्र साक्षी एवं स्वयं वादी मुकदमा को भी परीक्षित नहीं कराया गया है और न ऐसा कोई प्रपत्र प्रस्तुत किया गया है जिससे अभियोजन कथानक साबित होता हो, मात्र पी०डब्लू० 1 सावित्री की मुख्य परीक्षा से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है क्योंकि विधि का सारवान् सिद्धान्त है कि जिरह का अवसर प्राप्त हो परंतु विद्वान अवर न्यायालय द्वारा कहीं भी मूल पत्रावली में जिरह का अवसर समाप्त करने का कोई आदेश नहीं किया है, जिससे अभियुक्त को विधितः बचाव करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ एवं आघात आख्या को साबित करने हेतु प्राथमिक या द्वितीयक साक्ष्य भी प्रस्तुत नहीं किया गया है।

21– विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा अपने निर्णय के पेज 3 पर यह निष्कर्ष दिया है कि *भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा–134 के अनुसार किसी घटना को साबित करने के लिये गवाहों की किसी संख्या की आवश्यकता नहीं होता है। अतः मात्र एक गवाह के साक्ष्य से भी घटना साबित हो सकती है,* इस स्तर पर उचित प्रतीत नहीं होता है कि क्योंकि प्रस्तुत प्रकरण में जो एक साक्षी को परीक्षित कराया गया उसकी भी मात्र मुख्य परीक्षा हुई है, अभियुक्तगण को जिरह करने का विधिक अवसर प्राप्त नहीं हुआ। मात्र मुख्य परीक्षा से इस निष्कर्ष पर जाना कि अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित की गयी है, उचित प्रतीत नहीं होता है।

22– उपरोक्त समस्त तथ्यों एवं परिस्थितयों के दृष्टिगत विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा जो प्रश्नगत आदेश पारित किया गया है विधि एवं तथ्यों के अनुरूप नहीं है, इस प्रकार प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांकित–14.11.2025, अपास्त किये जाने एवं अपील स्वीकार करते हुए अभियुक्त बलवन्त हरिजन पुत्र शिवपूजन हरिजन आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०दं०वि० से दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

फौजदारी अपील सं०–150/2025 अपील स्वीकार करते हुए विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत निर्णय/आदेश दिनांकित–14.11.2025, अपास्त किया जाता है। अभियुक्त बलवन्त हरिजन पुत्र शिवपूजन हरिजन को आरोप अन्तर्गत धारा–323, 504 भा०दं०वि० के अपराध में दोषमुक्त किया जाता है। निर्णय की एक प्रति मूल पत्रावली में रखी जाए।

दिनांक–02.07.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 बलिया।

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–02.07.2026

(पुनीत कुमार गुप्ता)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट सं० 1 बलिया।

सौरभ
आशुलिपिक